

with the Departmental Promotion Committee and no Under Secretary including Shri B. I. Sarma was found suitable for the post. The post was therefore filled in by appointment of an officer on deputation from the Government of India. In view of this Manipur Government found no merit in the appeal filed by Shri B. I. Sarma and it was withheld.

Samsadiya Hindi Parishad

6594. SHRI P. ANTONY REDDI: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) the aims and objects of Samsadiya Hindi Parishad; and

(b) whether his Ministry is allotting any funds to this Parishad to carry its work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI SHER SINGH): (a) The Sansadiya Hindi Parishad, New Delhi (Hindi Association of Parliament) is an organisation registered under Societies Registration Act. Its membership is confined only to Members of Parliament. Its main object is to propagate Hindi and other Regional Languages amongst the Members of Parliament and to provide teaching facilities and render assistance in connection with Parliamentary work etc.

(b) Yes, Sir. A grant of Rs. 14.175.00 was given to the Parishad during 1967-68 mainly for running Hindi Classes for teaching Hindi to non-Hindi speaking Members of Parliament.

न्यूजीलैंड में टैस्ट मैच

6595. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के क्रिकेट इतिहास (108 टेस्टों) में भारत ने

पहली बार न्यूजीलैंड में रबर जीता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रबर जीतने वाली इस टीम के भारत में पहुंचने पर सरकार का विचार उसे सम्मानित करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है टीम भारत वापिस आ चुकी है ।

दिल्ली में बटमारी की घटनाएं

6597. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बटमारी की घटनायें बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो 1966 में हुई ऐसी घटनाओं की तुलना में 1967 में वे घटनायें कितनी अधिक हुईं ;

(ग) कितने मामलों में पुलिस अपराधियों को पकड़ सकी है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने अथवा कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ग). सन 1966 में दिल्ली में बटमारी के 27 मामलों की रिपोर्ट की गई तथा 13 मामलों में व्यक्ति पकड़े गये। सन 1967 में रिपोर्ट किये गये ऐसे मामलों की संख्या 19 थी तथा 7 मामलों में व्यक्तियों को पकड़ा गया था।

(घ) जब जरूरी होता है प्रभावित क्षेत्रों में गश्त मजबूत कर दी जाती है।